

खण्ड अधिकारी एवं दण्डनायक देसूरी (पाली)

जोनी देवी कुमार

बनाम नारायण कुमार देसूरी

राजस्व विविध डा.फा नम्बर 04

अन्तर्गत धारा 212 Pt. A & C

सन् 2023

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामिल
में जारी हुए

डा.पैगण की ओर से वकील डा.पैगण ने डा.फा अन्तर्गत धारा 212 राजस्व का अधिकारी अधिनियम के तहत विरुद्ध डा.पैगण प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत डा.फा दर्ज रजिस्टर है। डा.पैगण जर्मिने गैरीस गलब टैक्स पत्रावली वास्ते जबाब हेतु दिनांक 29/3/23 को पेश है।

~~राजस्व अधिकारी
(पा.डी.ओ.) देसूरी (पाली)~~

29/3/23

वकील डा.पैगण श्री संजय रामाकर उपस्थित। डा.पैगणी जोनी देवी एवं श्री विजेन्द्र कुमार उपस्थित। मूल वाद वकील डा.पैगण के प्रस्तुत डा.फा अनुसार पत्रावली के मध्य का पत्रावली एवं एम्प्लॉय से नारायण के जोने से मूल वाद जर्मिने विरुद्ध खारीज हो चुका है। फलतः मूल वाद के अन्तर्गत डा.फा अन्तर्गत धारा 212 राजस्व का अधिकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत डा.फा खारीज किया गया है। पत्रावली मूल कुमार को कर्मचारी वाद के संलग्न है।

राजस्व अधिकारी
(पा.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

अ.सि. - जोनी देवी



राजस्व अधिकारी
अ.सि. देसूरी